



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2466]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2012/अग्रहायण 29, 1934

No. 2466]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2012/AGRAHAYANA 29, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2012

New Delhi, the 20th December, 2012

का.आ. 2967(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री स्वतंत्र कुमार, को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करती है।

S.O. 2967(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Swatanter Kumar, Former Judge of the Supreme Court as the Chairperson of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

[फा. सं. 17(2)/2010-पीएल/एनजीटी (पार्ट)]

[F. No. 17(2)/2010-PL/NGT(Pl.)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

SURJIT SINGH, Jt. Secy.